GCMS No:- 2024/141

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
डॉ0 हरिनारायण स्वामी पुत्र श्री नानकदास स्वामी, **जाति–दादूपंथी,** **निवासी–सी–266,**भाभा मार्ग, तिलक नगर,जयपुर।		1–श्री रामसिंह गुर्जर तहसीलदार,मेड़ता

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र **संख्या** 19 **सन्** 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.06.2024	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता के यहां विचाराधीन प्रकरण बअनवान ओमप्रकाशदास बनाम डॉ0 हरिनारायण वगैराह को अन्यंत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिंनाक 03.07.2024 को पेश हो। **जिला कलक्टर,** **नागौर**	
03/07/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अनु0/पक्षकारान सूचित हो। अधीनस्थ कार्यालय से टिप्पणी प्राप्त की जावें। पत्रावली दिनांक 30/07/2024 को पेश हो। **कलक्टर नागौर**	
30/07/2024	प्रार्थी अनु0 है। [illegible] की तामील जारी हो व अधीनस्थ कार्यालय से टिप्पणी प्राप्त की जावें। पत्रावली दिनांक 21/08/2024 को पेश हो। **कलक्टर नागौर**	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख ... जारी हुए
...8/2024	प्रार्थी अनु० औट सापाप अनु० औट सापाप की तलबी हो। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट हेतु टिप्पणी ली जावें। पत्रावली दिनांक 18/09/2024 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
18/9/2024	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष की तलबी हो। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी ली जावें। पत्रावली दिनांक 8/10/2024 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
08/10/24	वकुलाय उप० श्रीमान P.O. सा. प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/10/24 को पेश हो।	
29/10/24	वकुलाय उप० श्रीमान P.O. सा. प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 12/11/24 को पेश हो।	
12/11/24	वकुलाय उप० पीठासीन अधिकारी महा० उपचुनाव कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03/12/2024 को पेश हो।	
03/12/2024	उभय पक्ष अनु०। उभय पक्ष सूचित है। अप्रार्थी सं० की टिप्पणी प्राप्त हुई जो शा०कि० है। पत्रावली दिनांक 17/12/2024 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
17/12/2024	प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनु० है। पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 18/12/2024 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	मुन्तकील प्रार्थना–पत्र अनवान् डॉ0हरिनारायण स्वामी बनाम रामसिंह गुर्जर तहसीलदार,मेड़ता (3)	
18.12.2024	पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर तहसीलदार,मेड़ता के समक्ष मौजा मेड़ता की आराजी खसरा नम्बर 1188,1189,1190,1191,1801,1700,1701,1703,1704, 1705,1706,1707,1709,1711,1712,1714,1716 कुल खसरा 17 कुल रकबा 19.98 है0 एवं खसरा नम्बर 1680 व खसरा नम्बर 1678 के सम्बन्ध में स्व0 गोपालदास जी के उतराधिकार नामान्तरकण के सम्बन्ध में चल रही पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाये हैं कि प्रार्थी दिनांक 10.06.2024 को तहसीलदार,मेड़ता के न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा प्रकरण के बारे में जानकारी की तो तहसीलदार,मेड़ता ने प्रार्थी को अपने चैम्बर के अन्दर बुलाया तथा चैम्बर में बुलाकर प्रार्थी से कथन किया कि अब प्रकरण में आगे वो कोई तारीख निर्धारित नहीं करेंगे तथा ना ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य लेगे,क्योंकि उस पर राजनैताओं व ओमप्रकाश दास चेला गोपालदास का दबाब हैं तथा मुझे ओमप्रकाश दास के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश करना पड़ेगा। प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया हैं कि प्रार्थी ने पत्रावली अवलोकन का निवेदन किया व पत्रावली में आदेशिका में उसे उपस्थिति के रूप में हस्ताक्षर करने दिये जाने का भी निवेदन किये जाने पर तहसीलदार ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से पत्रावली दिखाने से इन्कार कर दिया तथा ना ही उन्हें पत्रावली की आदेशिका में हस्ताक्षर करने दिये। तहसीलदार के उपरोक्त रवैये से यह स्पष्ट हो गया कि प्रार्थी को तहसीलदार,मेड़ता के न्यायालय से न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती हैं। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी के प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस प्रार्थना–पत्र का जबाब पत्रांक/1035 दिनांक 29.10.2024 से पेश कर मुख्य रूप से यह प्रकट किया हैं कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में विरासत का नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश हुआ हैं तथा प्रकरण संख्या 01/2024 दिनांक 11.01.24 को दर्ज कर जैरकार हैं। उपरोक्त प्रकरण में जबाब आपत्ति नोटिस प्रस्तुत करने के पश्चात् पत्रावली में आगामी दिनांक 14.06.2024 नियत की गई। प्रार्थी द्वारा उल्लेखित कथन मिथ्या, निराधार, बेबुनियाद, तथ्यहीन हैं। प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही हैं तथा प्रकरण में वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता के वाद संख्या 136/2024 मेहन्त गोविन्ददास चेला महन्त गोपालदास बनाम ओमप्रकाश में स्थगन आदेश हैं। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुवे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब पेश हो चुका हैं तथा आज राजपेरोकार उपस्थित हैं। राजेपरोकार ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि प्रकिया अपनाते हुवे कार्यवाही की जा रही हैं,प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र केवल प्रकरण को विलम्ब करने के उद्धेश्य से पेश किया गया हैं। अधीनस्थ	

कलक्टर नागौर

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप इस प्रार्थना–पत्र में लगाये गये हैं। प्रार्थी तो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं,इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार,मेड़ता द्वारा अपने जबाब में प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अंकित किया हैं तथा तहसीलदार,मेड़ता द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों की स्वीकारोक्ति नहीं दी हैं। राजपेरोकार की बहस एवं जबाब प्रार्थना–पत्र से पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत होने या फिर किसी प्रकार से दबाब होने का कोई कारण प्रकट नहीं होता हैं। इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने से न्याय व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विपक्षी पक्षकार को भी प्रकरण को बिना किसी ठोस कारण के अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिये जाने से अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन–पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं हैं,इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर